# फर्द अहकाम

मोहनलाल वगै० बनाम सरकार वगै०
उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़
67/2023

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 29/7/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील उपस्थित हुए। पत्रावली तहसीलदार से कुर्रेजात हेतु दिनांक 29/8/24 को पेश हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर | |
| 29/8/24 | पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार से कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त कर पेश की। जिसे शामिल मिसल किया। वकील वादी ने कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया तथा सहमति प्रदान की। अतः पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53,188 रा० काश्तकारी अधि० को मन्जूर स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट के तकासमा हेतु निर्णय किया जाता है तथा बंटवारा किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर शामिल मिसल किया गया।<br>निर्णय आज सरेइजलास सुनाया गया।<br>पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो। [हस्ताक्षर] उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ जिला–जयपुर | |

(12)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

| मिसल नं. | तारीख दायर | तारीख फैसला |
|---|---|---|
| 67/2023 | 08/06/2023 | 29/08/2024 |

1. मोहनलाल पुत्र भौरीलाल
2. रामजीलाल पुत्र भौरीलाल

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

वादीगण

बनाम

1. धोली पत्नि भैरू (दौराने वाद फौत)
2. रामकरण पुत्र भैरू
3. रामफूल पुत्र भैरू
4. श्योनारायण पुत्र भैरू
5. कैलाश पुत्र भैरू
6. अर्जुन पुत्र भैरू
7. रुकमणी पुत्री भैरू
8. बरदी पत्नि रामनाथ पुत्रवधु भैरू

समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बूज तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

9. उप पंजीयक जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर राजस्थान।
10. राजस्थान सरकार ज़रिए तहसीलदार ज़मवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
11. मैनेजर बैक आफ बडौदा शाखा मोहनपुरा तहसील बस्सी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक
श्री रामजीलाल मीना :– वकील वादीगण
श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा :– वकील प्रतिवादी सं0 11

## दावा बाबत बटंवारा, एवं स्थाई निषेधाज्ञा
## अन्तर्गत धारा–53, 188 आर0टी0एक्ट

### –: निर्णय :–

वादीगण की ओर से एड0 श्री रामजीलाल मीना ने यह वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम बूज, तहसील जमवारामढ जिला जयपुर में स्थित भूमि खाता संख्या 426 हाल खसरा नम्बर 1273 रकबा 0.2900है0 का वादीगण के हिस्से का वाई मीटस एण्ड बाउण्डस विधिवत विभाजन किया जावें तथा वादीगण के हिस्से का खाता व लगान पृथक से कायम किया जावें तथा इसी अनुरूप राजस्व रिकॉर्ड में अमल करने के आदेश फरमाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 27.06.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ ने अपने पत्रांक/ एल0आर0/2024/4186 दिनांक 05.08.2024 द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर बहस वकील उभय पक्षों की सुनी गई तथा वकील उभय पक्षों को कुर्रेजात पर समझाईश की गई। वकील उभय पक्षों द्वारा कुर्रेजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ के द्वारा प्रस्तुत बटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादीगणों का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम बूज, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला-जयपुर

### —: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

| वर्तमान जमाबन्दी अनुसार | आराजी नम्बर | रकबा है0 | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|
| भैरू पुत्र नारायण 1/2, मोहनलाल पि0 भौरीलाल 1/4 विना रहन रामजीलाल पुत्र भौरीलाल 1/4 जाति मीणा रहन बी0ओ0बी0 शाखा मोहनपुरा ज़यपुर खातेदार | 1273 | 0.29 | बा0 1 | — |
| योग | किता 1 | 0.29 | — | — |

### —: प्रस्तावित :—

| ं0 | प्रस्तावित | आराजी नम्बर | है0 | किस्म | लगान |
|---|---|---|---|---|---|
| | मोहनलाल पुत्र भौरीलाल 1/2 विना रहन, रामजीलाल पुत्र भौरीलाल 1/2 जाति मीणा सा0देह खातेदार रहन बी0ओ0बी0 शाखा मोहनपुरा | 1273/1 | 0.1450 | बा0 1 | — |
| | योग | किता 1 | 0.1450 | — | — |
| | भैरू पुत्र नारायण मीणा सा0देह खातेदार (फौत) | 1273/2 | 0.1450 | बा0 1 | — |
| | योग | किता 1 | 0.1450 | — | — |

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग–अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादीगण एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादीगण एवं प्रातिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 29/08/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ जिला जयपुर